



ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070

Ph. No.: 011-29581050, 011-29581105,06,07,09,13 Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2022-23

AICTE invites applications for setting up New Technical Institutions and approval to Existing Technical Institutions / Universities / Institutions (Deemed to be Universities) for conducting Technical Programmes / Courses including ODL and Online **for the Academic Session 2022-23.**

All applicants are requested to read carefully and thoroughly the AICTE Approval Process Handbook (APH) 2022-23 and All India Council for Technical Education (Grant of approval for Technical Institution) Regulations, 2020 & 1st Amendment Regulations, 2021 which are available @ www.aicte-india.org before submitting online applications on AICTE Web Portal for the Academic Session 2022-23.

1. New Technical Institutions

- Applications for “Setting up New Technical Institutions Offering Technical Programmes in Engineering and Technology / Planning / Applied Arts and Crafts / Design/ Hotel Management and Catering Technology / MCA / Management at Diploma / Post Diploma Certificate / Under Graduate Degree / Post Graduate Diploma / Post Graduate Degree Levels” shall be permitted only in cases as specified in the Approval Process Handbook.
- The existing Institutions offering Courses in Applied Arts and Crafts / Design/ Vocational (Technical) Programmes / Non-Technical Institutions conducting MCA/ MBA, without the approval of AICTE and seeking approval for the first time from AICTE, shall submit an application as a New Technical Institution.
- As per order dated 08.11.2019 passed by the Honourable Supreme Court of India in **CA No. 364/2005**, for the existing Institutions offering course in Architecture programme, approval by the Council of Architecture (CoA) is mandatory. However, if such institutes are willing to obtain AICTE approval it may apply on AICTE Portal by paying requisite Technical Education Regulatory (TER) charges as specified in APH 2022-23.
- As per order dated 05.03.2020 passed by the Honourable Supreme Court of India in Transfer Petitions **(CIVIL) No. 87-101 of 2014**, for the existing institutions offering courses in Pharmacy programme, approval of Pharmacy Council of India (PCI) is mandatory. However, if such institutes are willing to obtain AICTE approval, then they may apply on AICTE portal by paying requisite TER charges as specified in APH 2022-23.
- The Central, State and Private Universities are NOT required to take AICTE approval as per AICTE Act. However, such Institutions have to maintain AICTE norms in conducting Technical Programmes. As such, some of the Universities are seeking approval of AICTE for availing the benefits of AICTE Schemes / Initiatives as per the prevailing policies / norms.
- The Central, State and Private Universities are NOT required to take approval of AICTE for Technical Programmes except ODL & Online Programmes / Courses. **Application for partial approval of any Programme(s) / Course(s) / Intake at any level shall NOT be permitted. If it is noticed that a University/ Institution (Deemed to be University) has taken any such partial approval, their AICTE approval shall be subsequently withdrawn.**

- For Institutions (Deemed to be Universities), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Honourable Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in **CA No.17869- 17870 / 2017**. It is found that some of the Institutions (Deemed to be Universities) (including category I & II) as well as Institutes of Eminence (IoE) have not yet taken AICTE approval or taken approval partially for selected Technical Course(s)/ Programme(s)/ Intake. Therefore, Institutions (Deemed to be Universities) who have never taken approval from AICTE are directed NOT to run any Technical Programme(s)/Course(s) without prior approval of AICTE. All IoEs and Category I and II Universities / Institutions (Deemed to be Universities) shall enjoy benefits as per UGC/ AICTE regulations. However, such Institutions / Institutes of Eminence (IoE) shall have to update the data in AICTE Web-Portal on an annual basis and comply the norms and standards as specified by AICTE from time to time. (Refer clause 4.21 of APH 2022-23)

2. Existing Technical Institutions

Grant of Approval through Online Application for the following:

- Extension of Approval based on Self-Disclosure
- Introduction / Continuation of seats for Non Resident Indian(s)
- Change of Site / Location
- Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa
- To start New Programme / Level in the existing Institutions
- Merger of Institutions under the same Trust / Society / Company operating in the same Campus or City
- Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year / Restoration of Intake
- Introduction / Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals / Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries
- Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa
- Increase in Intake / Additional Course(s)
- Introduction of Integrated / Dual Degree Course
- Closure of the Institution
- Introduction/ Continuation of Fellow Programme in Management
- Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s) / Course(s)
- Change in the Name of the Institution or Affiliating University / Board or Type of Institution (Institution(s) converted into a University)
- Change in the Minority Status of the Institution
- Change in the Name of the Bank
- Change in the Name / Address of the Trust / Society / Company
- Extended EoA
- Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign University / Institution in the field of Technical Education, Research and Training
- Introduction of Vocational Courses
- Applications from the existing Institutions offering Technical Programmes at Diploma / Under Graduate Degree and affiliated to Board / University for seeking approval for Introduction / Continuation of Vocational Education Programme(s) leading to Diploma / Degree in Vocational Education under NSQF.

Note: Institutions (Deemed to be Universities) offering Technical Programme(s) approved by the Council, falling under Category-I / II (as declared by UGC) shall have to submit an application to the Council indicating the increase in Intake in the Courses / New Course(s) in Emerging / Multidisciplinary areas. The Council shall grant approval to those respective Programmes / Courses.

Institutions (Deemed to be Universities) that have been recognized as an Institute of Eminence by the Ministry of Education, Government of India shall have to update the detail in AICTE Web Portal on annual basis and comply the Norms and Standards as specified by AICTE from time to time.

3. Courses in Open and Distance Learning and / or Online Learning Mode.

Applications from the Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities/ Universities for seeking approval for Introduction/ Continuation of Courses in Open and Distance Learning Mode and / or Online Learning Mode.

The Standalone Institutions / Institutions (Deemed to be Universities) / Universities already approved by AICTE intending to Introduce / Continue courses in **Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes** shall submit application as per Chapter - V of APH 2022 – 23. Further as per UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020, approval of respective regulatory body is necessary for running the programmes under **Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes**. Accordingly, approval of AICTE as per provisions laid down in Chapter – V of APH 2022-23 is required to be taken.

4. Submission of online applications for **A.Y. 2022-23 shall begin w.e.f 29-03-2022 till 22-04-2022 (Midnight)**. The last date for submission of online applications **with penalty** for Extension of Approval based on self-disclosure ONLY for existing Institutions is permitted up to **29-04-2022 (Midnight)**. It may be noted that there shall be **NO** further extension of date.

All Higher Education Institutions conducting / desirous to conduct Technical Programmes are requested to visit AICTE Website @ "www.aicte-india.org > Home > Quick link: Approval Process 2022-23" regularly for all General Notifications, Updated Information and Official Communications related to Approval Process 2022-23. There will not be any individual communication to the Institutions / Universities.

AICTE is also organizing online Curtain Raiser event apprising the changes in APH 2022-23 on 29-03-2022 at 10:30 AM. Interested Education Partners can attend the same through the link available on website.

**Prof. RAJIVE KUMAR
Member Secretary, AICTE**



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

फोन नंबर : 011-29581050, 011-29581105, 06, 07, 09, 13 वेबसाइट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया वर्ष 2022–23 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाईन कार्यक्रमों सहित तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु तथा विद्यमान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं (मानित विश्वविद्यालयों) द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जमा करने से पहले अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022–23 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 एवं प्रथम संशोधन विनियम, 2021 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें, जोकि अभातशिप के वेब पोर्टल : @ www.aicte-india.org पर उपलब्ध हैं।

1. नई तकनीकी संस्थाएं

- “डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण-पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाइन/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु” केवल अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मामलों में ही आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
- अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाइन/व्यावसायिक (तकनीकी) कार्यक्रम में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाएं/गैर तकनीकी संस्थाएं जो अभातशिप के अनुमोदन के बिना/एमसीए/एमबीए संचालित कर रही हैं तथा अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हैं, वे संस्थाएं, नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगी।
- “भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीए संख्या 364/2005 के मामले में दिनांक 08.11.2019 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं को वास्तुकला परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है तथापि, यदि ऐसे संस्थान जो परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022–2023 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आवश्यक तकनीकी शिक्षा नियामक शुल्क (टीईआर) का भुगतान करके अभातशिप के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 की ट्रांसफर पेटिशन (सिविल) संख्या 87–101 के मामले में दिनांक 05.03.2020 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, भेषजी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं हेतु भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है तथापि, यदि ऐसे संस्थान जो परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022–2023 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आवश्यक तकनीकी शिक्षा नियामक शुल्क (टीईआर) का भुगतान करके अभातशिप के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- अभातशिप अधिनियम के अनुसार राज्य के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। तथापि ऐसे संस्थान तकनीकी कार्यक्रम संचालित करते समय अभातशिप सन्धियों का अनुपालन करेंगे। जैसे की, कुछ विश्वविद्यालय अभातशिप की योजनाओं/पहलों का लाभ प्राप्त करने के लिए अभातशिप की विद्यमान नीतियों/मानदण्डों के अनुसार अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं।
- केन्द्रीय/राज्य के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को ओडीएल तथा ऑनलाईन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को छोड़कर तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अभातशिप का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्तर पर किसी भी कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों)/प्रवेश-क्षमता के आंशिक अनुमोदन हेतु आवेदन की अनुमति नहीं होगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी विश्वविद्यालय/संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) ने ऐसी कोई आंशिक अनुमोदन प्राप्त किया है, तो उनका अभातशिप का अनुमोदन बाद में वापस ले लिया जाएगा।

- मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं के संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सीए संख्या 17869-17870/2017** के मामले में दिनांक 03-11-2017 को जारी किये गए आदेश के अनुपालन में मानित विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पाया गया है कि कुछ संस्थाओं (मानित विश्वविद्यालयों) (श्रेणी I एवं II सहित) के साथ ही साथ प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओई) ने अभी तक अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है अथवा कुछ चयनित तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों)/प्रवेश-क्षमता के लिए ही आंशिक अनुमोदन प्राप्त किया है। अतः ऐसे संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) जिन्होंने अभातशिप से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है उन्हें निदेश दिया जाता है कि वह अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) संचालित न करें। सभी आईओई और श्रेणी I और II विश्वविद्यालय/संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) यूजीसी/अभातशिप नियमों के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तथापि ऐसे संस्थानों/प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओई) को वार्षिक आधार पर अभातशिप वेब पोर्टल में डेटा अद्यतन करना होगा और समय-समय पर अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट सन्मियम एवं मानकों का अनुपालन करना होगा। (अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022-23 का खण्ड 4.2.1 देखें)

2. विद्यमान तकनीकी संस्थाएं

निम्नलिखित के लिए ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया जाएगा :

- स्व-प्रकटीकरण के आधार पर अनुमोदन का विस्तार
- अनिवासी भारतीय(यों) (एनआरआई) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना
- स्थान/स्थिति में परिवर्तन
- डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम/स्तर को आरम्भ करना
- एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर अथवा शहर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना
- विद्यमान संस्थाओं में पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन का विस्तार (ईओए) जारी करना/प्रवेश-क्षमता को बहाल करना (रिस्टोरेशन)
- विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.)/ओसीआई/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना
- महिला संस्था का सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- प्रवेश-क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
- एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
- संस्था को बंद करना
- प्रबंधन में अध्येता (फेलो) कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना
- पाठ्यक्रम (मों) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रमों का विलय करना/प्रवेश-क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना
- संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन अथवा संस्था(ओं) के प्रकार में परिवर्तन (संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना)
- संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति में परिवर्तन
- बैंक के नाम में परिवर्तन
- न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम/पते में परिवर्तन
- अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना
- तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं टिविनिंग कार्यक्रम हेतु
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना
- डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त विद्यमान संस्थाओं से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम(ओं) को आरंभ करने/जारी रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

टिप्पणी : परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से जो श्रेणी I एवं II (जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित) के अंतर्गत आती हैं, उन्हें परिषद् को उभरते हुए नवीन/बहुविषयक विषय क्षेत्रों में पाठ्यक्रम/नए पाठ्यक्रम (मों) की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना होगा।

ऐसी मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है, को वार्षिक आधार पर परिषद् के वेबपोर्टल पर विवरण को अद्यतन करना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय-समय पर जारी निर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों का पालन करना होगा।

3. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम :

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम आरंभ करने/जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, एकल (स्टैण्डअलोन) संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से आवेदन।

एकल (स्टैण्डअलोन) संस्थान/संस्था (मानित विश्वविद्यालय)/विश्वविद्यालय जो पहले से ही अभातशिप द्वारा अनुमोदित हैं तथा **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाइन कार्यक्रम** आरंभ करने/जारी रखने के इच्छुक हैं उन्हें अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022-23 के अध्याय-V के अनुसार आवेदन करना होगा। आगे यह कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार, **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाइन कार्यक्रम** के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित करने हेतु संबंधित सम्बद्धता प्रदान करने वाले विनियामक निकाय से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। तदनुसार, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022-23 के अध्याय-V में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

4. शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 29 मार्च, 2022 से आरंभ होगी तथा दिनांक 22 अप्रैल, 2022 (मध्य रात्रि) को बंद होगी। केवल विद्यमान संस्थाओं को स्व-प्रकटन (Self-disclosure) आधार पर अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाइन आवेदन **जुमाने सहित** जमा करने के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 2022 (मध्य रात्रि) तक अनुमति दी जाएगी। यह नोट कर लिया जाए कि अंतिम तिथि को आगे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा।

तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रही/करने की इच्छुक सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2022-23 से संबंधित आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाइट @ "www.aicte-india.org >Home>Quick link: Approval Process 2022-23" देखें। संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के साथ व्यक्तिगत तौर पर कोई अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।

अभातशिप द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2022 को प्रातः 10:30 बजे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2022-23 में हुए परिवर्तनों से अवगत कराने हेतु ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक शैक्षिक भागीदार वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से उसमें भाग ले सकते हैं।

प्रो० राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं. : अनुमोदन ब्यूरो/2022